

MINISTRY OF PERSONNEL & TRAINING, ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

(Department of Personnel & Training)

Now Delhi, the 6th August, 1985

G.S.R. 812.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, in rule 29(a) for clause (iii) of sub-rule (1) the following clause shall be substituted, namely:—

“(iii) The Member (Personnel) Postal Services Board in the case of a Government servant serving in or under the Postal Service Board and Member (Personnel) Telecommunications Board in the case of Government servant serving in or under the Telecommunications Board, or”

(b) in the second proviso of the said rule 29, for the brackets and words “(the Member (Administration) The Post and Telegraph Board)”, the following shall be substituted, namely :—

“Member (Personnel), Postal Services Board, Member (Personnel) Telecommunications Board.”

[No. 11012/6/85-Estt. (A)]

A. JAYARAMAN, Director.

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार  
और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1985

सा. का. नि. 812.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रिय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रिय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन के तारखे को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रिय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 29 में,—

(क) उपनियम (1) के खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(3) डाक सेवा बोर्ड में या उसके अधीन सेवा कर रहे किसी सरकारी सेवक को दशा में सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड और दूरसंचार बोर्ड में या उसके अधीन सेवा कर रहे किसी सरकारी सेवक को दशा में सदस्य (कार्मिक), दूरसंचार बोर्ड, या”

(ख) उक्त नियम 29 के दूसरे परन्तुक में, “सदस्य (प्रशासन), डाक और सार बोर्ड” कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड, सदस्य (कार्मिक), दूरसंचार बोर्ड”।

[संख्या 11012/6/85-स्थापना (ए)]

अ. जयरामन, निदेशक